



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन

खान मार्केट, न दिल्ली-110003

6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan

Khan Market, New Delhi-110003

दिनांक : 10-07-2013

सं. एस/1/एसटीजीजेएच/2011/एसईएफसीसी/आर.यू.-III

सेवा में,

- श्री विनय कुमार चौबे,
जिला मजिस्ट्रेट रांची,
झारखण्ड
- उपायुक्त बोकारो,
झारखण्ड

विषय: श्री रमित सतेन्द्र पुत्र श्री सतेन्द्र सिंह, बूटी रोड, रांची द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में श्री अशोक सिन्हा, बक्सी कम्पाउंड, बरियातु, रांची द्वारा शिकायत।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 20-06-2013 के संदर्भ में कथन है कि उपायुक्त बोकारो के पत्र सं० 352 दिनांक 08-07-2013 के निवेदन पर आयोग के माननीय सदस्य, श्री भैरू लाल मीना ने प्रकरण पर चर्चा/सुनवाई हेतु दिनांक 02-08-2013 को अपराह्न 12:30 बजे आपके साथ बैठक निश्चित की है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों सहित उक्त अनुसूचित दिनांक को आयोग मुख्यालय में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

4784-88
12/7/13

जारी किया
ISSUED
प्रतिलिपि.

भवदीय,
के.डी. बन्सौर
(के.डी. बन्सौर)
उप निदेशक

- उपायुक्त, सिंहभूम, झारखण्ड को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची (झारखण्ड) को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु।
- श्री अशोक सिन्हा, बक्सी कम्पाउंड, बरियातु, रांची (झारखण्ड) को सूचनार्थ।

4. SSA NIC